

कार्य का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.750किमी०)

शासनादेश संख्या 1760/पी०३-14/यू०आर०आर०डी०ए०/०९ दिनांक 14/12/2009 के तहत जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 (रामा) से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 8.00 किमी० लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है। विस्तृत सर्वेक्षण कर इस मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 7.750 किमी० आती है इसलिए 7.750 किमी० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया। यह मार्ग गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 1.00 से प्रारम्भ होकर स्यालुका डोखरियाणी तक प्रस्तावित है। इस मार्ग के बनने से दर्जनों गांवों को यातायात का लाभ मिलेगा। तथा इसी मार्ग से ग्रामीणों की नगदी फसलों को मण्डी तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है -

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| 1 - आरक्षित वन भूमि    | - | 4.0320 है० |
| 2 - वन पंचायत भूमि     | - | शून्य है०  |
| 3 - सिविल सोयम वन भूमि | - | 0.5040 है० |
| 4 - नाप भूमि           | - | 1.1430 है० |

योग - 5.6790 है०

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 7.750 कि०मी० लम्बाई में जिसमें नाप भूमि 9.00 मीटर चौड़ाई में, सिविल सोयम भूमि 7.00 मी० चौड़ाई में तथा आरक्षित वन भूमि 7.00 मी० चौड़ाई में ली गई है। इस मार्ग में सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, आरक्षित वन भूमि 4.0320 है०, कुल 4.5360 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार हेतु भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक समरेखण की सम्भावना नहीं है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 500 जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा उक्त ग्राम मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा। पर्वतीय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र से यातायात से जुड़ कर लाभान्वित हो जायेंगे और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का समरेखण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उक्त ग्राम मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा एवं मानक के अनुरूप न्यूनतम वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी, जिससे कम वृक्ष एवं फसलें प्रभावित होगी। मोटर मार्ग का 7.750 कि०मी० लम्बाई में सिविल सोयम भूमि एवं आरक्षित वन भूमि की 7.00 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना की गई। जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 (रामा) से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.5360 है० सिविल सोयम वन भूमि एवं आरक्षित वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि प्रस्ताव गठित कर विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
पुरोला

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड  
PMOSY ID Purola  
पुरोला

अधिशारी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, सि.ख.  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
पुरोला